भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1517
सोमवार, 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक)

कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और
स्वास्थ्य-जोखिम

1517. श्री फिरोज वरूण गांधीः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वर्ष 2014-15, 2015-16, 2017-18 और चालू वर्ष के दौरान असंगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के संबंध में सरकार के पास कोई ब्यौरा है;
(ख) कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ग) उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य परामर्श बोर्ड के गठन की वर्तमान स्थिति क्या है; और
(घ) ओमनी बस कोड में 44 श्रम कानूनों को 4 ओमनी बस कोड में तर्कसंगत बनाने और उन्हें समेकित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, गैर-कृषि एवं एजीईजीसी क्षेत्रों (एजीईजीसी क्षेत्र की कवरेज है-फसल उगाने को छोड़कर कृषि क्षेत्र, बाजार बागबानी, उद्यान-विज्ञान एवं पशुपालन सहित, फसलों को उगाना) में कार्य पर लगे कामगारों की सामान्य स्थिति आधार (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) पर अनौपचारिक क्षेत्र (अर्थात् ट्रेडमार्क युक्त एवं भागीदारी उद्यम) में प्रतिशत 2017-18 में 68.4% तथा 2011-12 में 72.4% थी।

(ख से घ): भारत सरकार ने कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं वातावरण पर राष्ट्रीय नीति (एनपीएसएचईडब्ल्यू) की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य कार्य-संबंधी चोट, रोगों, मृत्यु, आपदाओं की घटना के उन्मूलन के माध्यम से देश में निरोधक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संस्कृति की स्थापना करना तथा देश में आर्थिक कार्यकलाप के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाना है। विभिन्न सम्मेलनों, जागरूकता शिविरों, सुरक्षा सप्ताहों, अभियानों, पंचाटों तथा सर्वेक्षण आदि आयोजित करके सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्य के संवर्द्धन एवं बढ़ावा हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं।

खानों में कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उद्देश्यों के नियमन के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक व्यापक विधान, खान अधिनियम, 1952 अधिनियमित किया गया है। खान अधिनियम, 1952 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा प्रशासित किया जाता है।

कारखानों के संबध में, कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में नियोजित कामगारों के व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के रूप में एक व्यापक विधायन अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम तथा इसके तहत तैयार की गई राज्य कारखाना नियमावली का प्रवर्तन कारखाना प्रमुख निरीक्षक/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से संबधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

श्रम कानूनों में सुधार समय की आवश्यकता के समाधान के लिए विधायी व्यवस्था को अद्यतन करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है, ताकि उन्हें और-अधिक प्रभावी, लोचशील तथा उभरते हुए आर्थिक एवं औद्योगिक परिदृश्य के साथ समन्वित किया जा सके। मंत्रालय ने मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण तथा व्यावसायिक सुरक्षा, क्रमशः स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाओं, विद्यमान केंद्रीय श्रम कानूनों के संगत प्रावधानों का सरलीकरण करके, मिलाकर एवं युक्तिसंगत बनाकर, चार श्रम संहिताओं के मसौदे हेतु कदम उठाए हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यकारी दशाओं पर संहिता का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा यह एक राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य परामर्शदात्री बोर्ड की स्थापना हेतु प्रावधानों को शामिल करता है।

******